मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6-1-99-3-एक, भोपाल, दिनांक 21 जनवरी, 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना.

सन्दर्भ :—सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 6-2/94/3/1 दिनांक 30-06-94.

राज्य शासन के ध्यान में एक ऐसा प्रकरण आया है जिसमें अपचारी के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में उसे दोषमुक्त किये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया किंतु उक्त निर्णयानुसार न तो आदेश जारी किये गये और न ही संबंधित अपचारी शासकीय सेवक को उक्त निर्णय से अवगत कराया गया. विभागीय पदोन्नति समिति के मूल्यांकन पत्रक में भी संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच लंबित होना दर्शाया जाता रहा. उक्त स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपचारी की पदोन्नति के संबंध में विचार ही नहीं किया गया जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 30-06-94 में स्पष्ट निर्देश हैं कि विभागीय जांच लंबित होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विषय में समिति की अनुशंसा बन्द लिफाफे में रखी जावेगी.

2. उक्त प्रकरण में शासन के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना की गयी. जो अत्यंत खेदजनक है. इससे न केवल संबंधित शासकीय सेवक पीड़ित होता है अपितु शासन की छवि भी धूमिल होती है.

3. अतएव अपेक्षा की जाती है कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे. निर्देशों की उपेक्षा करने वाले दोषी शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी सुश्चित की जाये.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.